BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 248 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED SIX VEHICLES USED IN ILLEGAL SAND MINING SEIZED IN HARYANA'S NUH, APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATES 10.02.2024

…. Applicant

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	STATUS REPORT/ REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5, I.E., STATE OF RAJASTHAN, PURSUANT TO ORDER DATED 22.01.2025 PASSED IN THE CAPTIONED MATTER	**1-10**
2.	**ANNEXURE R-1** A TRUE COPY OF THE LETTERS DATED 17.01.2025 AND 20.01.2025 ISSUED BY OFFICE OF MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT, GURUGRAM/NUH, TO THE MINING ENGINEER, ALWAR AND BHARATPUR	**11-14**
3.	**ANNEXURE R-2** A TRUE COPY OF LETTERS DATED 18.02.2025, 28.07.2025 & 16.07.2025 SENT TO THE CONCERNED MINING LEASE HOLDER/CRUSHER OWNER/IN-CHARGE OF THE VEHICLE FOR ILLEGAL TRANSPORTATION OF MINERAL	**15-16D**
4.	**ANNEXURE R-3** A TRUE COPY OF REPLY DATED 10.03.2025, 01.08.2025, 22.08.2025 AND 27.08.2025	**17-20**

5.	**ANNEXURE R-4** A TRUE COPY OF CHART SHOWING PENALTY RECOVERED FROM THE VEHICLE UNDER RULE 60(5) OF THE RMMCR 2017 FROM THE OWNER OR PERSON IN CHARGE OF THE VEHICLE	**-21-**
6.	**ANNEXURE R-5** A TRUE COPY OF ORDER DATED 13.05.2022 ISSUED BY OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE, BHARATPUR	**22-24**
7.	**ANNEXURE R-6** A TRUE COPY OF ORDER DATED 11.02.2025 ISSUED BY MINING ENGINEER, MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT, BHARATPUR	**25-26**
8.	**ANNEXURE R-7** A TRUE COPY OF THE ORDER DATED 23.01.2025 ISSUED BY THE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS (GROUP-3), GOVERNMENT OF RAJASTHAN	**27-28**
9.	**ANNEXURE R-8** A TRUE COPY OF THE ORDER DATED 01.04.2025 ISSUED BY THE DISTRICT COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE, ALWAR	**-29-**
10.	VAKALATNAMA	**-30-**
11.	PROOF OF SERVICE	**-31-**

FILED BY

(SHIV MANGAL SHARMA) (SAURABH RAJPAL)
(ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.5
STATE OF RAJASTHAN)
OFFICE:-D-291, 2ND 3RD FLOOR,
DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110024
MOB: -99717 92885
E-MAIL: -advocatesaurabhrajpal@gmail.com

PLACE – NEW DELHI
DATE - 08.09.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 248 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED SIX VEHICLES USED IN ILLEGAL SAND MINING SEIZED IN HARYANA'S NUH, APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATES 10.02.2024

….Applicant

STATUS REPORT/ REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5, I.E., STATE OF RAJASTHAN, PURSUANT TO ORDER DATED 22.01.2025 PASSED IN THE CAPTIONED MATTER

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The present Status report/ reply affidavit is being filed on behalf of the Respondent No.5 i.e., State of Rajasthan through its Officer-in-Charge duly appointed by the Government of Rajasthan in the present matter who is well conversant with the facts and circumstances of the present case.

2. That the present Original Application was registered *suo motu* by this Hon'ble Tribunal based on a news item published in Hindustan Times dated 10.02.2024 under the title "six vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana‟s Nuh". That the said news report indicates that four trucks and two tractor trolleys were seized by Haryana State Enforcement Bureau which were carrying illegally mined sand from six areas of Nuh.

3. Thereafter, upon considering the report dated 20.01.2025 submitted by the, District Magistrate, Nuh, Haryana, this Hon'ble Tribunal was

please to issue notice to the answering Respondent, noting that E-rawannas for four out of the six seized vehicles had been issued by the State of Rajasthan. The relevant extract of the order dated 22.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal:

> *"5. Counsel for the State submits that in respect of seizure made for four FIRs, E—rawanna were issued by the State of Rajasthan. He has referred to FIR Nos.797/2024, 794/2024, 1004/2024& 1097/2024."*

STATUS OF FIRs:

4. It is respectfully submitted that following are the details of seizure of four vehicles which were found to be involved in carrying illegal mined mineral. The FIRs were registered against the said vehicles bearing FIR Nos. 797/2024, 794/2024, 1004/2024 and 1097/2024. The status of those FIRs is tabulated herein below:

S.NO.	**VEHICLE NAME**	**E-RAWANNA/ E-TRANSIT PASS DETAILS**	**DATE OF SEIZURE**	**FIR NO. AND STATUS**
1.	RJ05GB6804	KVRF1028632390 (E-transit pass)	08.02.2024	FIR NO. 1004/2024 Accused /Owner got vehicle released on superdari from the Court of JMIC, Nuh.
2.	HR55AK25888	AZPX1070909678 (E-rawanna)	17.01.2024	FIR NO. 797/2024 Accused /Owner got vehicle released on

				superdari from the Court of JMIC, Nuh.
3.	RJ40GA6164	SPVV1071153528 (E-rawanna)	24.01.2024	FIR NO. 794 /2024 Accused /Owner got vehicle released on superdari from the Court of JMIC, Nuh.
4.	RJ14GP6925	CIXP1071745597 (E-rawanna)	08.02.2024	FIR NO. 1097/2024 Accused /Owner got vehicle released on superdari from the Court of JMIC, Nuh.

<u>6. STEPS/ ACTIONS TAKEN BY THE STATE GOVERNMENT:</u>

i. That further in pursuance of the aforesaid FIRs, the District Magistrate, Nuh, vide letters dated 17.01.2025 and 20.01.2025, informed the Mining Engineers of Alwar and Bharatpur.
A true copy of the letters dated 17.01.2025 and 20.01.2025 issued by Office of Mines and Geology Department, Gurugram/Nuh, to the Mining Engineer, Alwar and Bharatpur is annexed hereto and marked as **ANNEXURE R/1.**

ii. That pursuant to above information, the Mining Engineer issued show cause notice to the concerned mining lease holder/crusher owner/in-charge of the vehicle for illegal transportation of mineral and further directed them to pay 10 times of Royalty in respect of illegal transportation of minerals as per Rule 54(3) and

60(5) of the Rajasthan Minor Mineral Concession Rule 2017 (herein referred as RMMCR 2017), which includes compensation for environmental degradation. The Rule 54(3) and 60(5) of the said Rajasthan Minor Mineral Concession Rules 2017 is as follows:

*"**60. Establishment of check posts or barriers and inspection of minerals in transit and weighment.-** (5) Where the officer incharge of the check post or any other officer or official empowered under sub-rule (2) above has a reason to believe that royalty is likely to be evaded in respect of any mineral liable to be assessed for royalty, such officer may require the owner or person incharge of the vehicle to pay an amount equal to ten times of royalty in lieu of cost of mineral, rent, royalty, compensation for environmental degradation and tax chargeable on the land occupied without lawful authority, etc. along with compounding fee as specified in sub-rule (3) of rule 54:*

Rule 54 (3) of the said Rules as follows:

54. Illegal mining, transportation and storage of minerals.-

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-rule (1) and (2) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to five lacs rupees, or with both: Provided that the Additional Director Mines, Superintending Mining Engineer, Superintending Mining Engineer(vigilance), Mining Engineer, Mining Engineer (vigilance), Assistant Mining Engineer, Assistant Mining Engineer (vigilance), Mines Foreman, Surveyor or any other officer or official authorised by the Government, Director or Additional Director Mines may either before or after the institution of the prosecution, compound the offence committed in contravention of the sub-rule (1) and (2) on payment of cost of mineral and compound fee as mentioned below:-

S.NO.	*Vehicle/Equipment*	*Compound fee (in Rs.) per unit*
1	*2*	*3*
1.	*Tractor trolley*	*Twenty five thousand*
2.	*Truck/Dumper/any other vehicles having gross vehicle weight upto sixteen tonnes (as per registration certificateof the vehicle)*	*Fifty thousand*
3.	*Truck/Dumper/anyother vehicles having gross vehicle weight more than sixteen tonnes (as perregistration certificate of the vehicle) and Wire saw, crane, excavator, loader, power hammer, compressor, drilling machine etc.*	*One lacs*

Note: Cost of the mineral shall be taken as ten times of royalty in lieu of rent, royalty, ***compensation for environmental degradation*** *and tax chargeable on the land occupied without lawful authority, etc.. Provided that the amount of compound fee in cases other than specified as above shall not be less than rupees twenty thousand and shall be in addition to the cost of mineral."*

A true copy of letters dated 18.02.2025, 28.07.2025 & 16.07.2025 sent to the concerned mining lease holder/crusher owner/in-charge of the vehicle for illegal

transportation of mineral is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/2.**

iii. Subsequently, the concerned lease holders/crusher owners/vehicle in-charges submitted their replies to the Department and deposited the required penalty amount including compensation for Environmental degradation for the said illegal transportation of minerals. A total penalty amount of Rs. 4,64,285/- has been recovered by the Department under the RMMCR, 2017.

A true copy of reply dated 10.03.2025, 01.08.2025, 22.08.2025 and 27.08.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/3.**

A true copy of chart showing penalty recovered from the vehicle under Rule 60(5) of the RMMCR 2017 from the owner or person in charge of the vehicle is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/4.**

7. GOVERNMENT OF RAJASTHAN – MONITORING & VIGILANCE COMMITTEES:

a. That further in order to curb the issue of illegal mining and transportation of mineral, a Special Investigation/Inspection Team (SIT) has been constituted vide order dated 13.05.2022 under the Chairmanship of the District Collector, Bharatpur. The team comprises officers from the Mines, Revenue, Police, Transport, and Forest Departments and has been directed to conduct intensive checking campaigns across all tehsils of Bharatpur.

A true copy of order dated 13.05.2022 issued by Office of District Collector and District Magistrate, Bharatpur is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/5.**

b. That further, the Office of the Mining Engineer, Mines and Geology Department, Bharatpur, vide order dated 11.02.2025, directed intensive checking in the tehsils to curb illegal mining, transportation, and storage of minerals. A temporary check-post has been established under the Assistant Mining Engineer with technical staff and Home Guards for enforcement.

A true copy of order dated 11.02.2025 issued by Mining Engineer, Mines and Geology Department, Bharatpur, is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/6.**

c. It is pertinent to mention that in order to promote sustainable mineral development, resolve issues of legal mining, and curb illegal mining, the State Government has constituted a permanent District Level *"Mineral Development, Environment Protection and Illegal Mining Monitoring Committee"* vide order dated 23.01.2025. The committee, is chaired by the District Collector with officials from Police, Forest, and Mining Departments, along with nominated NGO representatives and lease holders, which will hold monthly meetings to prevent illegal mining, ensure environmental protection, address lessees' grievances, and enforce relevant conservation and environmental laws. The Mines and Petroleum (Group-2) Department will act as its administrative department.

A true copy of the order dated 23.01.2025 issued by the Department of Administrative Reforms (Group-3), Government

of Rajasthan, is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/7.**

d. That further in compliance with the Administrative Reforms Department's order dated 23.01.2025, the District Collector and Magistrate, Alwar, constituted a permanent District Level *Mineral Development, Environment Protection and Illegal Mining Monitoring Committee* vide order dated 01.04.2025. The Committee, chaired by the District Collector with members including Superintendent of Police, Deputy Conservator of Forests, Mining Engineer (Member Secretary), mining leaseholders, and an NGO representative, holds monthly meetings to prevent illegal mining/transportation/storage, resolve inter-departmental issues, promote plantation and environmental protection, and ensure implementation of Forest Conservation and Environmental Protection Acts.

   A true copy of the order dated 01.04.2025 issued by the District Collector and District Magistrate, Alwar, is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/8.**

5. That it is further respectfully submitted that the State of Rajasthan is committed to protect and safeguard the environment and natural resources. The State Government, through its Mines and Geology Department in coordination with Police, Forest, Revenue, and Transport Departments, has been continuously taking all necessary steps to prevent, detect, and penalize illegal mining and unauthorized transportation of minerals. The answering Respondent is duty bound under the Constitution and law to regulate mining operations in a sustainable manner, and reiterates its firm resolve to enforce strict

compliance of statutory provisions, environmental safeguards, and judicial directions in order to eliminate illegal mining activities.

6. That the Respondent No. 5 craves liberty of this Hon'ble Tribunal to file any further additional status report that may be required to be placed on record and reserves its right with regard to same.

7. That the documents annexed to present affidavit are true copies of their respective originals.

FILED BY

(SHIV MANGAL SHARMA) (SAURABH RAJPAL)
(ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.5
STATE OF RAJASTHAN)
OFFICE:-D-291, 2ND 3RD FLOOR,
DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110024
MOB: -99717 92885
E-MAIL: -advocatesaurabhrajpal@gmail.com

PLACE – NEW DELHI
DATE - 08.09.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

NOTARY A. K. Sharma Distt.-Alwar (Raj.) Regd. No.-5722 GOVT. OF INDIA

O.A. NO. 248 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED SIX VEHICLES USED IN ILLEGAL SAND MINING SEIZED IN HARYANA'S NUH, APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATES 10.02.2024

AFFIDAVIT

I, Amit Juyal, aged about 53 years, S/o Sh. C.S. Juyal, working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Regional office, Bhiwadi (District Khairtal Tijara), do hereby and solemnly affirm and state herein under:

1. That I am the Office In-Chargein the instant Reply and am well conversant with the facts and circumstances of the case and thus competent to swear this affidavit.

2. That I have read the accompanying reply have been drafted under my instructions, which I have read and understood. I further state that the averments made therein are true and correct to my knowledge

3. That the Annexures filed along with the reply are true copies of their respective originals.

NOTARY A. K. Sharma Distt.-Alwar (Raj.) Regd. No.-5722 GOVT. OF INDIA

DEPONENT
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा०प्र०नि०मं०, भिवाडी

VERIFICATION

Verified at Bhiwadi on this the 4th day of September, 2025. I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED BY

ATTESTED
SIG./THUMB IMP. AS PER IDENTIFIED BY
NOTARY, ALWAR (RAJ.)
LIC. EXP. 2028
04 SEP 2025

DEPONENT
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा०प्र०नि०मं०, भिवाडी

कार्यालय खान एवम् भूविज्ञान विभाग, गुरुग्राम/नूहं
Office of Mines & Geology Department, Gurugram/Nuh

(28)

सेवा में

ANNEXURE R-1

खनि अभियन्ता,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
अलवर राजस्थान ।

दिनांक 17-01-2025

यादि कमांक 1552

विषय :– **Original Application No. 248/2024 in case titled as News Item titled "Six Vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appering in the Hindustan Times dated 10.02.2024".**

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि दिनाकं 24.01.2024 को हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो से श्री विजय एस.आई. 179/HAP, श्री राकेश HC 181/ Nuh, श्री विकास HC 422/RWR, श्री धीरज EHC व श्री भूपेन्द्र EHC द्वारा हाईवा नम्बर RJ 40 GA- 6164 को गांव रावली में पकडा जिसमें पत्थर (लगभग 54 मिट्रिक टन) भरा हुआ था। उक्त वाहन का चालक वाहन को मौका पर छोडकर भाग गया। उक्त वाहन के पास ई–रवन्ना नम्बर SPVV1071153528 दिनांक 24.01.2024 (प्रति संल्गन) को खनिज पत्थर लगभग 28.43 मिट्रिक टन के लिए जारी किया गया था । निरीक्षण टीम द्वारा उपरोक्त वाहन का खण्डेलवाल धर्म कांटा फिरोजपुर झिरका पर कांटा करवाया गया (प्रति संल्गन) जिसके अनुसार उक्त वाहन में खनिज की कुल मात्रा 54 मिट्रिक टन पाई गई । उक्त वाहन में उपरोक्त ई–रवन्ना में दर्शाई गई खनिज की कुल मात्रा से 25.38 मिट्रिक टन अधिक अवैध खनिज पाया गया । उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा थाना फिरोजपुर झिरका में लाकर खडा किया गया व इस कार्यालय को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर इस कार्यालय से श्री शाहआलमदीन वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाकं 23.04.2019 व 19.02.2020 के अनुसार पृष्ठांकन कमाकं एस.पी.एल. नम्बर 3 दिनाकं 24.01.2024 को सीज करके थाना फिरोजपुर झिरका में अमानतन खडा किया गया। वाहन मालिक द्वारा पर्यावरण क्षतिपूति राशी, खनिज की कीमत व जुर्माना राशी जमा ना करवाने के कारण खान विभाग नूहं द्वारा उक्त वाहन के चालक/मालिक के विरुद्व थाना हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो नूहं में प्रथम सूचना रिर्पोट 794/2024 दर्ज करवाई गई थी। उक्त वाहन के विरुद्व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे एक केस लम्बित है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाए गए खनिज के अवैध खनन का स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी निर्धारित की जानी है।

उपरोक्त ई–रवन्ना के अनुसार उक्त वाहन का चालक M/s Divine Mines & Minerals Lease No. ME/ALW/Minor/ML/58/2006 Naharpur Khurd/ Ramgarh/ Alwar से खनिज (पत्थर) को राजस्थान से भरकर लाया था जोकि आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है । अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीजधारक के विरुद्व पर्यावरण क्षतिपूति राशी का आंकलन करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी वसूल करने का कष्ट करे ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके ।

BPSingh

o/c जिला खनन अधिकारी,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
नूहं ।

Annexure - R|11 (Colly) 12
(25-28)

कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरुग्राम/नूहं
Office of Mines & Geology Department, Gurugram/Nuh

सेवा में

खनि अभियन्ता,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
भरतपुर राजस्थान ।

यादि कमांक 1559 दिनांक 20.01.2025

विषय :– **Original Application No. 248/2024 in case titled as News Item titled "Six Vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appering in the Hindustan Times dated 10.02.2024".**

आपको सूचित किया जाता है कि दिनाकं 17.01.2024 को हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो से श्री करण सिंह पी.एस.आई. , श्री संदीप ए.एस.आई. 5/94 HAP , श्री भारत HC 83 /RWR व श्री विकास HC 422/RWR से सूचना प्राप्त हुई कि डम्पर नम्बर HR 55AK- 2588 जिसमें स्टोन डस्ट (23.50 मिट्रिक टन) भरी हुई थी को रोड साईड चैकिगं के दौरान तावडू में रुकवाया व चालक से वाहन में भरे खनिज का बिल मांगां तो चालक ने कोई बिल नही दिखाया। निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वाहन का चांदना कम्पयूटराईजड धर्म कांटा तावडू नूहं रोड पर कांटा करवाया तो उक्त वाहन में लगभग 23.50 मिट्रिक टन (वाहन सहित) अवैध खनिज पाया गया । उक्त वाहन को टीम द्वारा थाना सिटी तावडू में लाकर खंडा किया गया व इस कार्यालय को सूचना दी गई । सूचना मिलने पर खनन विभाग से श्री भूनप्रताप सिंह खनन निरीक्षक ने उक्त वाहन को खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाकं 23.04.2019 व 19.02.2020 (प्रति संल्गन) के अनुसार पृष्ठांकन कमाकं एस.पी.एल. नम्बर 2 दिनाकं 17.01.2024 को सीज करके थाना सिटी तावडू में अमानतन खडा किया। वाहन मालिक द्वारा पर्यावरण क्षतिपूति राशी, खनिज की कीमत व जुर्माना राशी जमा ना करवाने के कारण खान विभाग नूहं द्वारा उक्त वाहन के चालक/मालिक के विरुद्व थाना हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो नूहं में प्रथम सूचना रिर्पोट 797/2024 दर्ज करवाई गई थी। उक्त वाहन के विरुद्व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे एक केस लम्बित है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाए गए खनिज के अवैध खनन का स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी निर्धारित की जानी है।

थाना प्रबन्धक हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो के पत्र कमांक 16–5A dt. 20.01.2025 द्वारा प्राप्त रिर्पोट अनुसार उक्त वाहन का चालक M/s Ishwar Singh Lease No. ME/BPR/Minor /ML/172/2003 Chhapra / Pahari/ Bharatpur से खनिज (स्टोन डस्ट) को राजस्थान से भरकर लाया था जोकि आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है । अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीजधारक के विरुद्व पर्यावरण क्षतिपूति राशी का आंकलन करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी वसूल करने का कष्ट करे ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके।

Sd/-
o/c जिला खनन अधिकारी,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
नूहं ।

कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरुग्राम/नूहं
Office of Mines & Geology Department, Gurugram/Nuh

सेवा में

खनि अभियन्ता,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
भरतपुर राजस्थान ।

यादि कमांक 1560 दिनांक 20.01.2025

विषय :— **Original Application No. 248/2024 in case titled as News Item titled "Six Vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appering in the Hindustan Times dated 10.02.2024".**

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि दिनाकं 08.02.2024 को हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो से श्री सूरजमल थाना प्रबन्धक , श्री कर्ण पी.एस.आई., श्री विजय एस.आई., श्री संदीप ए.एस.आई, श्री राजीव ए.एस.आई मय स्टाफ द्वारा हाईवा नम्बर RJ 05 GB- 6804 को सोहना नूहं रोड नजदीक थाना रोजका मेव से पकडा जिसमें अवैध खनिज (जी.एस.बी. गिट्टी) लगभग 35 मिट्रिक टन भरी हुई थी। निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वाहन का कांटा नही करवाया गया । उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा थाना रोजका मेव में लाकर खडा किया गया व इस कार्यालय को सूचना दी गई । सूचना मिलने पर इस कार्यालय से श्री धर्मपाल वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाकं 23.04.2019 व 19.02.2020 के अनुसार पृष्ठांकन कमाकं एस.पी.एल. नम्बर 2 दिनाकं 08.02.2024 को सीज करके थाना रोजका मेव में अमानतन खडा किया गया । वाहन मालिक द्वारा पर्यावरण क्षतिपूति राशी, खनिज की कीमत व जुर्माना राशी जमा ना करवाने के कारण खान विभाग नूहं द्वारा उक्त वाहन के चालक/मालिक के विरुद्व थाना हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो नूहं में प्रथम सूचना रिर्पोट 1004/2024 दर्ज करवाई गई थी। उक्त वाहन के विरुद्व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे एक केस लम्बित है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाए गए खनिज के अवैध खनन का स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी निर्धारित की जानी है।

थाना प्रबन्धक हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो के पत्र कमांक 16—5A dt. 20.01.2025 द्वारा प्राप्त रिर्पोट अनुसार उक्त वाहन का चालक M/s Baba Laldass & Company, Pahari Rajasthan कैशर ईकाई से खनिज (जी.एस.बी. गिट्टी) को राजस्थान से भरकर लाया था जोकि आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है । अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कैशर ईकाई के विरुद्व पर्यावरण क्षतिपूति राशी का आंकलन करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी वसूल करने का कष्ट करे ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके।

जिला खनन अधिकारी,
O/C **खान एवम भूविज्ञान विभाग,**
नूहं ।

कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरुग्राम/नूंह
Office of Mines & Geology Department, Gurugram/Nuh

(27)

सेवा में

खनि अभियन्ता,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
अलवर राजस्थान ।

यादि कमांक 156 दिनांक 20.01.2025

विषय :- **Original Application No. 248/2024 in case titled as News Item titled "Six Vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appering in the Hindustan Times dated 10.02.2024".**

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि दिनाकं 08.02.2024 को हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो से श्री सूरजमल निरीक्षक , श्री करण ए.एस.आई., श्री विजय एस.आई., श्री राजीव ए.एस.आई. श्री संदीप ए.एस.आई व श्री विकास एच.सी. की निरीक्षण टीम ने उक्त हाईवा नम्बर RJ 14GP- 6925 को नजदीक तिरंगा चौक नूहं से चैकिगं के दौरान पकडा। उक्त वाहन में अवैध खनिज पत्थर (लगभग 65.69 मिट्रिक टन) भरा हुआ था जिसका चालक ने कोई बिल नही दिखाया । उक्त वाहन का निरीक्षण टीम द्वारा कांटा नही करवाया गया । उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा थाना सिटी नूहं में लाकर खडा किया गया व इसकी सूचना इस कार्यालय को दी गई । सूचना मिलने पर उक्त वाहन को इस कार्यालय से श्री धर्मपाल वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवम खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाकं 23.04.2019 व 19.02.2020 के अनुसार पृष्ठांकन कमाकं एस.पी.एल. नम्बर 1 दिनाकं 08.02.2024 को सीज करके थाना सिटी नूहं में अमानतन खडा किया गया । वाहन मालिक द्वारा पर्यावरण क्षतिपूति राशी, खनिज की कीमत व जुर्माना राशी जमा ना करवाने के कारण खान विभाग नूहं द्वारा उक्त वाहन के चालक/मालिक के विरुद्व थाना हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो नूहं में प्रथम सूचना रिर्पोट 1097/2024 दर्ज करवाई गई थी। उक्त वाहन के विरुद्व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे एक केस लम्बित है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाए गए खनिज के अवैध खनन का स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी निर्धारित की जानी है।

थाना प्रबन्धक हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो के पत्र कमांक 16—5A dt. 20.01.2025 द्वारा प्राप्त रिर्पोट अनुसार उक्त वाहन का चालक M/s KS Infrastructure Pvt. Ltd. Lease No. ME/ALW/Minor/ML/407/2002 Odela / Ramgarh/ Alwar से खनिज (पत्थर) को राजस्थान से भरकर लाया था जोकि आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है । अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीजधारक के विरुद्व पर्यावरण क्षतिपूति राशी का आंकलन करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशी वसूल करने का कष्ट करे ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके।

(हस्ताक्षर)
जिला खनन अधिकारी,
खान एवम भूविज्ञान विभाग,
नूहं ।

ANNEXURE R-2

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग अलवर (राज0)

हसनखाँ मेवात नगर, अलवर दूरभाष नं. 0144–2731800 ईमेल me.alwar@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– खअ/अल/रामगढ/विविध/691 दिनांकः– 18/02/2025

मैसर्स डिवाईन माईन्स एण्ड मिनरल्स.,
पता– बिजवा बस स्टेण्ड,
तहसील रामगढ, जिला अलवर ।

विषयः– आपके पक्ष में घृत खनन पट्टा संख्या 58/06 वास्ते खनिज पत्थर चुनाई, निकट ग्राम–नाहरपुरखुर्द, तह–रामगढ, जिला–अलवर के बाबत्।

प्रसंगः– कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूहं का पत्र कमांक 1552 दिनांक 17.01.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूहं का पत्र कमांक 1552 दिनांक 17.01.2025 अनुसार हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरों द्वारा हाईवा नम्बर RJ 40 GA 6164 को गांव रावली में पकडकर खण्डेलवाल धर्म कांटा फिरोजपुर झिरका पर कांटा करवाया गया, जिसमें लगभग 54 मै0 टन खनिज पत्थर भरा हुआ था । उक्त वाहन के पास ई–रवन्ना नम्बर SPVV1071153528 दिनांक 24.01.2024 को खनिज पत्थर लगभग 28.43 मै0 टन के लिए जारी किया गया । उक्त वाहन में उपरोक्त ई–रवन्ना जिसके अनुसार उक्त वाहन में खनिज की कुल मात्रा से 25.38 मै0 टन अधिक पाई जाने पर वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवं खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाए गये खनिज के अवैध खनन का स्थान स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी है।

अतः आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर लेख है कि उक्त के संबंध में 05 दिवस में आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः प्रासंगिक पत्रांक दिनांक 17.01.2025।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियंता, अलवर

16
Email / Reg.AD.

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग अलवर (राज0)

हसनखॉं मेवात नगर, अलवर दूरभाष नं. 0144–2731800 ईमेल me.alwar@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– खअ / अल / रामगढ / विविध / दिनांकः– 28/07/2025

मैसर्स के 2 एस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0
पता हाउस नम्बर 144, गली नम्बर बी 6,
अशोक विहार, फेज 3,
गुरूग्राम हरियाणा 122017।

विषयः– आपके पक्ष में घृत खनन पट्टा संख्या 407 / 02 वास्ते खनिज पत्थर चुनाई, निकट ग्राम–ओडेला, तह–रामगढ, जिला–अलवर के बाबत्।

प्रसंगः– कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरूग्राम / नूहं का पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 20.01.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, गुरूग्राम / नूहं का पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 20.01.2025 अनुसार हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरों द्वारा हाईवा नम्बर RJ ~~10~~ 14 GP 6925 को नजदीक तिरंगा चौक नूंह से पकडकर थाना सिटी नूंह में खडा किया गया, जिसमें लगभग 65.69 मै0 टन खनिज भरा हुआ था । उक्त वाहन के पास ई–रवन्ना नम्बर CIXP1071745597 दिनांक 08.02.2024 को खनिज पत्थर लगभग 21.18 मै0 टन के लिए जारी किया गया । उक्त वाहन में उपरोक्त ई–रवन्ना जिसके अनुसार उक्त वाहन में खनिज की कुल मात्रा से 44.51 मै0 टन अधिक पाई जाने पर वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवं खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाए गये खनिज के अवैध खनन का स्थान स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी है।

अतः आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर लेख है कि उक्त के संबंध में 05 दिवस में आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः प्रासंगिक पत्रांक दिनांक 20.01.2025

खनि अभियंता, अलवर

RajKaj Ref No.:
16813933

Signature Not Verified
Digitally Signed by MANOJ KUMAR SHARMA

16A

जरिये रजिस्टर्ड/ई–मेल

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर (राज0)

क्रमांक–खअ/भरत/क्रेशर/2025/319 दिनांक –16.07.2025

मैसर्स बाबा लालदास एण्ड कम्पन्नी,
निकटग्राम नगला शहजादपुर, तहसील पहाडी,
जिला–डीग (राज.)

विषय :– Original Application No. 248/2024 in case tited as News Item titled "Six Vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appering in the Hindustan Times dated 10.02.2024" के सम्बंध में।

प्रसंग :– कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूँह के पत्र क्रमांक 1560 दिनांक 20.01.2025 एवं श्री राहुल खुराना, अधिवक्ता के नोटिस दिनांक 21.01.2025 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से इस कार्यालय में सूचित किया गया है कि दिनांक 08.02.2024 को हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो से श्री सूरजमल थाना प्रबंधक श्री कर्ण पी.एस.आई., श्री विजय एस.आई., श्री संदीप ए.एस.आई., श्री राजीव ए.एस.आई मय स्टाफ द्वारा हाईवा नम्बर RJ 05 GB 6804 को सोहना नूँह रोड नजदीक थाना रोजका मेव से पकडा जिसमें अवैध खनिज (जी.एस.बी. गिट्टी) लगभग 35 मैट्रिक टन भरी हुई पायी गयी। निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वाहन का कांटा नही कराया गया। उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा थाना रोजका मेव में लाकर खडा किया गया व इसकी सूचना कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूँह को दी गयी। सूचना मिलने पर कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूँह के श्री धर्मपाल वरिष्ठ खनन रक्षक ने खान एवं खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 व 19.02.2020 के अनुसार पृष्ठांकन क्रमांक एस.पी.एल. नम्बर 2 दिनांक 08.02.2024 को सीज करके थाना रोजका मेव में अमानतन खडा किया गया। वाहन मालिक द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, खनिज की कीमत व जुर्माना राशि जमा ना करवाने के कारण खान विभाग नूँह द्वारा उक्त वाहन के चालक/मालिक के विरूद्ध थाना हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो नूँह में प्रथम सूचना रिपोर्ट 1004/2024 दर्ज करवाई गयी है। उक्त वाहन के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में एक केस लम्बित है एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाये गये खनिज के अवैध खनन का स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी है।

थाना प्रबंधक हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो के पत्र क्रमांक 16–5ए दिनांक 20.01.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त वाहन का चालक मैसर्स बाबा लालदास एण्ड कम्पन्नी, पहाडी राजस्थान क्रेशर ईकाई से खनिज (जी.एस.बी. गिट्टी) को राजस्थान से भरकर लाया था, जो कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के अधीन है। उक्त के क्रम में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से खान

विभाग गुरूग्राम / नूंह द्वारा उक्त केशर ईकाई मैसर्स बाबा लालदास एण्ड कम्पन्नी, पहाडी राजस्थान के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके।

अतः आपका यह कृत्य अनियमितता की श्रेणी मे आने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन है। जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिवस में अपना पक्ष मय प्रमाण अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहे।

(के.सी. गोयल)
खनि अभियंता, भरतपुर

जरिये रजिस्टर्ड/ई-मेल

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर (राज0)

कमांक-खअ/भरत/रि/अप्र/खप/172/03/2025/318 दिनांक -16.07.2025

श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री भूपसिंह,
निवासी-मानेसर, तहसील मानेसर,
जिला-गुरूग्राम (हरियाणा)

विषय :- Original Application No. 248/2024 in case tited as News Item titled "Six Vehicles used in illegal sand mining seized in Haryana's Nuh, appering in the Hindustan Times dated 10.02.2024" के सम्बंध में।

प्रसंग :- कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूँह के पत्र कमांक 1560 दिनांक 20.01.2025 एवं श्री राहुल खुराना, अधिवक्ता के नोटिस दिनांक 21.01.2025 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से इस कार्यालय में सूचित किया गया है कि दिनांक 17.01.2024 को हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो से श्री कर्णसिंह पी.एस. आई., श्री संदीप ए.एस.आई 5/94 HAP, श्री भारत HC 83/RWR व श्री विकास HC 422/RWR से सूचना प्राप्त हुई कि हाईवा नम्बर HR 55 AK 2588 जिसमें स्टोन डस्ट (23.50 एमटी) भरी हुई को रोड साईड चैकिंग के दौरान तावडू में रूकवाया गया। वाहन चालक से खनिज का बिल मांगा तो चालक ने कोई भी बिल नही दिखाया गया। निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वाहन का चांदना कम्प्यूटराईजड धर्म कांटा तावडू रोड पर कराया गया तो उक्त वाहन में लगभग 23.50 एमटी वाहन सहित अवैध खनिज पाया गया। उक्त वाहन को निरीक्षण टीम द्वारा थाना सिटी तावडू में लाकर खडा किया गया व इसकी सूचना कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूँह को दी गयी। सूचना मिलने पर कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, गुरूग्राम/नूँह के श्री भानूप्रताप खनन निरीक्षक ने खान एवं खनिज अधिनियम (D&R) 1957 की धारा 21 (4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102 व माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 व 19.02. 2020 के अनुसार पृष्ठांकन कमांक एस.पी.एल. नम्बर 2 दिनांक 08.02.2024 को सीज करके थाना सिटी तावडू में अमानतन खडा किया गया। वाहन मालिक द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, खनिज की कीमत व जुर्माना राशि जमा ना करवाने के कारण खान विभाग नूँह द्वारा उक्त वाहन के चालक/मालिक के विरूद्ध थाना हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो नूँह में प्रथम सूचना रिपोर्ट 797/2024 दर्ज करवाई गयी है। उक्त वाहन के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में एक केस लम्बित है एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार उक्त वाहन द्वारा लाये गये खनिज के अवैध खनन का स्थान चिन्हित करके उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी है।

थाना प्रबंधक हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो के पत्र कमांक 16-5ए दिनांक 20.01.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त वाहन का चालक मैसर्स ईश्वर सिंह Lease No.

ME/BPR/MINOR/ML/172/2003 Chhapra/Pahari/Bharatpur से खनिज (स्टोन डस्ट) को राजस्थान से भरकर लाया था, जो कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के अधीन है। उक्त के कम में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से खान विभाग गुरुग्राम/नूँह द्वारा उक्त केशर ईकाई मैसर्स ईश्वर सिंह Lease No. ME/BPR/MINOR/ML/172/2003 Chhapra/ Pahari/ Bharatpur राजस्थान के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके।

अतः आपका यह कृत्य अनियमितता की श्रेणी मे आने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन है। जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आप 15 दिवस में अपना पक्ष मय प्रमाण अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहे।

(के.सी.गोयल)
खनि अभियंता, भरतपुर

Divine MINES & MINERALS

ANNEXURE R-3 1

cc (रामगढ़) 18/3/25

सेवामें,

श्रीमान खनि अभियंता,
अलवर।

विषयः— खनन पटटा संख्या 58/06 वास्ते खनिज पत्थर चुनाई, निकट ग्राम नाहरपुरखुर्द, तहसील रामगढ जिला अलवर के संबंध में।

प्रसंगः— आपका नोटिस कमांक खअ/अल/रामगढ/विविध/691 दिनांक 18.02.2025 के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके नोटिस दिनांक 18.02.2025 के कम में निवेदन है कि खनन पटटा संख्या 58/06 वास्ते खनिज पत्थर चुनाई, निकट ग्राम नाहरपुरखुर्द, तहसील रामगढ में वाहन संख्या RJ 40 GA 6164 का ई—रवन्ना संख्या SPVV10711153528 दिनांक 24.01.2024 समय 01:17:23 PM पर खनन पटटा में श्री श्याम स्टोन कम्पनी गांव चकरनांगला फिरोजपुर झिरका, मेवात, हरियाणा के लिये ई—रवन्ना जनरेट किया गया, जिसको श्री राम धर्म कांटा (201710220112) द्वारा दिनांक 24.01.2024 समय 01:23:45 PM पर खनिज मैसनरी स्टोन नेट मिनरल वेट 28.43 मै0 टन पर कन्फर्म किया जाकर कांटा पर्ची प्राप्त की गई (प्रति संलग्न) एवं उक्त ई-–रवन्ना संख्या SPVV10711153528 का जीएसटी इनवाईस संख्या 4073 दिनांक 24.01.2024 से जमा करा दिया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः वाहन संख्या RJ 40 GA 6164 का ई—रवन्ना संख्या SPVV10711153528 दिनांक 24.01.2024 को खनन पटटा क्षेत्र से उक्त वाहन में मात्रा 28.43 मै0 टन खनिज भरा गया, जिसे श्री राम धर्म कांटा द्वारा कन्फर्म किया गया, जो नियमानुसार है।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति अनुसार खनन पटटाधारी फर्म मैसर्स डिवाईन माईन्स एण्ड मिनरल के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नहीं बनती है। अतः उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि नोटिस को खारिज फरमाया जावें।

जवाब के साथ हल्फनामा/शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

2901
10/3/25

मैसर्स डिवाईन माईन्स एण्ड मिनरल,
पता—बिजवा बस स्टेण्ड,
तहसील रामगढ, जिला अलवर

Divine Mines & Minerals
Bus Stand Beejwa Teh. Ramgarh Alwar (Raj) 301001
+91 8696630197
+91 8005676361
minesdivine@gmail.com

CC
1/8/25

सेवा में,

श्रीमान खनि अभियंता महोदय,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
अलवर।

विषयः– खनन पटटा संख्या 407/02 वास्ते खनिज पत्थर चुनाई, निकट ग्राम ओडेला, तहसील रामगढ जिला अलवर के संबंध में।

संदर्भः– आपका नोटिस क्रमांक खअ/अल/रामगढ/विविध/राजकाज रेफ 16813933 दिनांक 28.07.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके नोटिस दिनांक 28.07.2025 के क्रम में निवेदन है कि खनन पटटा संख्या 407/02 वास्ते खनिज पत्थर चुनाई, निकट ग्राम ओडेला, तहसील रामगढ में वाहन संख्या RJ 14 GP 6925 का ई–रवन्ना संख्या CIXP1071745597 दिनांक 07.02.2024 समय 11:32:16 PM पर कनसाईनी SHRI METRO STONE CRUSHER CO. / mewat indri nuh indri rewason crusher zone , NUH, Mewat, Haryana, 122107 के लिये जनरेट किया गया, जिसे वेवब्रिज जी एन एन्ट्रप्राईजेज, गांव कारोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर पर दिनांक 07.02.2024 समय 11:32:35 PM पर खनिज मैसनरी स्टोन नेट मिनरल वेट 21.18 मै0 टन पर कन्फर्म किया जाकर कांटा पर्ची प्राप्त की गई (प्रति संलग्न)।

अतः वाहन संख्या RJ 14 GP 6925 का ई–रवन्ना संख्या CIXP1071745597 दिनांक 07.02. 2024 समय 11:32:16 PM को खनन पटटा क्षेत्र से उक्त वाहन में मात्रा 21.18 मै0 टन खनिज भरा गया, जिसे जी एन एन्ट्रप्राईजेज कांटा द्वारा कन्फर्म किया गया। वक्त समय वाहन में मात्रा 21.18 मै0 टन ही भरा गया, जो कांटा पर भी इतनी मात्रा में कन्फर्म हुआ, जो नियमानुसार है।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति अनुसार खनन पटटाधारी मैसर्स के 2 एस इन्फ्रा. प्रा. लि. के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नहीं बनती है। अतः उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि नोटिस को खारिज फरमाया जावें।

जवाब के साथ हल्फनामा/शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

Ramesh Kumar

मैसर्स के 2 एस इन्फ्रा. प्रा. लि.,
पता– House No. 144, Gali Number B 6,
Ashok Vihar, Phase 3, Gurgaon (Haryana)

861
1/8/25

सेवा में,

श्रीमान् खनि अभियन्ता महोदय,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
भरतपुर राज0 ।

विषय – खनन पट्टा एम0एल0 नम्बर 172/03 निकट ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला डीग के क्रम में

प्रसंग – आपका पत्र क्रमांक 318 दिनांक 18.07.2025 के संदर्भ में

महोदय,

निवेदन है कि आप द्वारा भेजे गये नोटिस के जबाब में मेरा निवेदन यह है कि दिनांक 17.01.2024 को वाहन संख्या एचआर 55 एके 2588 के लिए मेरे खनन पट्टा क्षेत्र से रवन्ना संख्या AZPX1070909678 दिनांक 17.01.2024 को जारी किया गया जो कि धर्मकांटा शिफा ट्रेडिंग कम्पनी ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला डीग खनिज का वजन 15.5 टन पर कनफर्म किया गया । इसलिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि की पट्टाधारी से बसूलनीय नहीं है ।

अतः श्रीमान् जी के समक्ष नोटिस का जबाब पेश कर निवेदन है कि उक्त नोटिस को खारिज फरमाये जाने की कृपा करें । आपकी अति कृपा होगी ।

दिनांक – 22.08.2025

प्रार्थी
ईश्वरसिंह
ईश्वर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह
निवासी मानेसर तहसील व जिला
गुडगॉव हरियाणा ।

Guest
Kshitiz
27/8/25

सेवा में,

श्रीमान् खनि अभियन्ता महोदय,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
भरतपुर राज0 ।

विषय – क्रेशर ईकाई मैसर्स बाबा लाल दास एण्ड कम्पनी निकट ग्राम नगला शहजादपुर तहसील पहाड़ी जिला डीग के क्रम में

प्रसंग – आपका पत्र क्रमांक 319 दिनांक 16.07.2025 के संदर्भ में

महोदय,

निवेदन है कि आप द्वारा पत्र में वर्णित वाहन संख्या आर0जे0 05 जीबी 6804 का जिक्र किया गया है उक्त वाहन मेरी क्रेशर ईकाई पर दिनांक 06.02.2024 को समय करीब सुबह 9.30 बजे खनिज मैसनरी स्टोन गिट्टी भरकर ले गया था । उक्त वाहन के लिए मेरी क्रेशर ईकाई से अनकनफर्म ट्रांजिस पास संख्या KVRF1028632390 दिनांक 06.02.2024 को जारी किया गया जो कि धर्मकांटा आदिनाथ स्टोन क्रेशर ग्राम नंगला शहजादपुर खनिज का वजन 37.46 टन पर कनफर्म किया गया । इसलिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि की क्रेशरधारी से बसूलनीय नहीं है ।

अतः श्रीमान् जी के समक्ष नोटिस का जबाब पेश कर निवेदन है कि उक्त नोटिस को खारिज फरमाये जाने की कृपा करें । आपकी अति कृपा होगी ।

दिनांक – 27.08.2025

प्रार्थी

[signature]

मैसर्स बाबा लाल दास एण्ड कम्पनी
निकट ग्राम नगला शहजादपुर
तहसील पहाड़ी जिला डीग

Penlaty Recovered From the vehicle under Rule 60 From The owner or person incharge of the vehicle to pay an amount equal to ten times of royalty in lieu of cost of mineral, rent, royalty, compensation for environmental degradation

ANNEXURE R-4

Sr. No.	Vehicle Number	Office	E-rawanna/ E-transit pass Detail	E-rawanna/ E-transit pass Issue date and time	Expired date and time	Approxiamate Quantity of the mineral in the vehicle informed by the Department of Mines & Geology, Nuh Haryana	Name of The Dealer/Mining Lessee Number	Penlaty Recovered From the vehicle under Rule 60 on the Transit Mineral (Amt. In Rupees)		
								Recovered 10 times of the royalty = 10*Royalty*tones of mineral	Recovered Compunding Amount as per Rule 54	Total Recoverec Amount
1	RJ05GB6804	Mining Engineer, Bharatpur	KVRF1028632390 **(E-transit pass)**	06.02.2024 09:28:59 AM	07.02.2024 09:28:59 AM	35 MT Grit (Masonary Stone)	Baba Laldas & Company	10*44*35=15400	100000	115400
2	HR55AK2588	Mining Engineer, Bharatpur	AZPX1070909678 **(E-rawanna)**	17.01.2024 06:03:04 PM	18.01.2024 09:03:04 PM	23.5 MT (Masonary Stone)	Sh. Ishwar singh ML NO. 172/2003 NV Chhapra Teh. Pahari Dist. Deeg Raj.	10*44*23.5=10340	100000	110340
3	RJ40GA6164	Mining Engineer, Alwar	SPVV1071153528 **(E-rawanna)**	24.01.2024 01:17:23 PM	24.01.2024 04:17:23 PM	28.43 MT (Masonary Stone)	Divine Mines & Minerals ML No. 58/2006 NV Naharpur Khurd The. Ramgarh Dist. Alwar	10*55*28.43=14064	100000	114064
4	RJ14GP6925	Mining Engineer, Alwar	CIXP1071745597 **(E-rawanna)**	07.02.2024 11:32:35 PM	08.02.2024 04:32:16 AM	44.51 MT (Masonary Stone)	K Ii S Infrastructure pvt ltd. ML No. 407/2002 NV Odela Teh. Ramgarh Dist. Alwar	10*55*44.51=24481	100000	124481

RMMCR 2017 RULE 60-(5) Where the officer incharge of the check post or any other officer or official empowered under subrule (2) above has a reason to believe that royalty is likely to be evaded in respect of any mineral liable to be assessed for royalty, such officer may require the owner or person incharge of **the vehicle to pay an amount equal to ten times of royalty in lieu of cost of mineral, rent, royalty, compensation for environmental degradation and tax chargeabl**e on the land occupied without lawful authority, etc. along with compounding fee as specified in sub-rule (3) of rule 54:

(M.E Bharatpur)
Addidational office Incharge

सत्यमेव जयते

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः-राजस्व/12/11(5)2015/ 475 दिनांकः- 13.05.2022

आदेश

खान एवं पैट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग आदेश दिनांक 10.05.2022 द्वारा राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.02.2012 एवं 05.07.2021 को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें वन भूमि में अवैध खनन के लिये राजस्व विभाग द्वारा एवं राजकीय भूमियों में अवैध खनन के लिये खान विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.02.2016 को संयुक्त अभियान भी चलाने बाबत् विस्तृत स्थाई आदेश दिये गये हैं।

अतः जिले में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध प्रभावी रोकथाम हेतु जिला कलक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में खान विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी/कार्मिकों का निम्नानुसार चैकिंग दल गठित किया जाकर दिनांक 15.05.2022 से दिनांक 14.06.2022 तक सघन जांच अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये जाते है।

क्र.सं.	तहसील	अधिकारी/कर्मचारी का पद मय विभाग	मोबाइल नं.
1	भरतपुर	उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर/ प्रतिनिधि	7221889755
		खनि अभियंता, भरतपुर/ प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, भरतपुर/प्रतिनिधि	9983739247
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, भरतपुर	
2	कामां	उपखण्ड अधिकारी, कामां/प्रतिनिधि	9413632204
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, कामां/पहाडी/प्रतिनिधि	9414117456
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, कामां	9680365495
3	पहाडी	उपखण्ड अधिकारी, पहाडी/प्रतिनिधि	9001200891
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, कामां/पहाडी/प्रतिनिधि	9414117456
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, पहाडी	9079734800
4	नगर	उपखण्ड अधिकारी, नगर/प्रतिनिधि	9828515746
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, नगर/प्रतिनिधि	
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, नगर	9079734800
5	सीकरी	उपखण्ड अधिकारी, सीकरी/प्रतिनिधि	9828515746
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, नगर/प्रतिनिधि	
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, नगर	9079734800

6	बयाना	उपखण्ड अधिकारी, बयाना/प्रतिनिधि	8890688248
		सहायक खनि अभियंता, रूपवास/प्रतिनिधि	9460955312
		उप अधीक्षक पुलिस, बयाना/प्रतिनिधि	9414048482
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, बयाना	9772814144
7	रूपवास	उपखण्ड अधिकारी, रूपवास/प्रतिनिधि	7297864261
		सहायक खनि अभियंता, रूपवास/प्रतिनिधि	9460955312
		उप अधीक्षक पुलिस, रूपवास/प्रतिनिधि	9414048482
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, रूपवास	9414178915
8	वैर	उपखण्ड अधिकारी, वैर/प्रतिनिधि	9414580033
		सहायक खनि अभियंता, रूपवास/प्रतिनिधि	9460955312
		उप अधीक्षक पुलिस, वैर/प्रतिनिधि	9414397254
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, वैर	9772814144
9	भुसावर	उपखण्ड अधिकारी, भुसावर/प्रतिनिधि	7014177984
		सहायक खनि अभियंता, रूपवास/प्रतिनिधि	9460955312
		उप अधीक्षक पुलिस, भुसावर/प्रतिनिधि	9414397254
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, भुसावर	9772814144
10	डीग	उपखण्ड अधिकारी, डीग/प्रतिनिधि	9799076342
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, डीग	
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, डीग	
11	कुम्हेर	उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर/प्रतिनिधि	8285053671
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, कुम्हेर	
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, कुम्हेर	
12	नदबई	उपखण्ड अधिकारी, नदबई/प्रतिनिधि	
		खनि अभियंता, भरतपुर/प्रतिनिधि	9828897860
		उप अधीक्षक पुलिस, नदबई	
		जिला परिवहन अधिकारी/प्रतिनिधि	9414026623
		रेंजर, वन विभाग, नदबई	

उक्त कार्यवाही हेतु खनि अभियंता, भरतपुर (मोबाईल-9828897860) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अतः समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही रिपोर्ट खनि अभियंता, भरतपुर को जरिये व्हाट्सएप भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः-राजस्व/12/11(5)2015/476-513 दिनांकः- 13.05.2022

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
3. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर।
4. श्रीमान निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।
6. उपवन संरक्षक/उपवन संरक्षक(वन्यजीव), भरतपुर।
7. अधीक्षण खनि अभियंता, भरतपुर वृत्त/सतर्कता, भरतपुर।
8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर।
9. खनि अभियन्ता, खण्ड/सतर्कता, भरतपुर।
10. संबंधित उपखण्ड अधिकारी................. पालनार्थ।
11. संबंधित पुलिस उप अधीक्षक ....पालनार्थ।
12. सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास को पालनार्थ।

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

ANNEXURE R-6 *संशोधित* 25

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भरतपुर।

क्रमांकः– खअ/भरत/अवैध खनन/2025/ दिनांकः– 11.02.2024 5

कार्यालय आदेश

श्रीमान अधीक्षण खनि भरतपुर के पत्र दिनांक 10.02.2024 से कार्यालय क्षेत्राधिकार की तहसील पहाडी जिला डीग में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त होने के कारण अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की सघन चैकिंग एवं प्रभावी रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त क्रम में श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान) कोटा जोन, कोटा आदेश दिनांक 10.02.2024 से कार्यालय को आवंटित तकनीकी कार्मिक एवं वाहनों की राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 60(1) में निहित प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये **श्री खेतन प्रकाश, सहायक खनि अभियंता, कार्यालय हाजा के नियंत्रण में** दिनांक 10.02.2025 से जारी कार्यालय आदेश के अतिक्रतण में निम्नानुसार अस्थायी चौकी/नाका (Checkpost) स्थापित कर कार्मिक/बॉर्डर होमगार्डस् की ड्यूटी लगाई जाती है–

क्र. सं.	**चौकी/नाका (चैकपोस्ट) का नाम**	**तैनात बॉर्डर होमगार्डस का नाम**	**पदनाम/ बेल्ट नं.**	**चैकपोस्ट प्रभारी**	**आवंटित वाहन**
1	**गांधानेर**	श्री भंवर सिंह	CPL 335	श्री रजनीश मीणा, ख.का.–II, श्री महेश मीणा, ख.का.–II श्री भीम सिंह, ख.का.–I	वाहन संख्या RJ 27 UC 3410 मय वाहन चालक (कार्यालय अधीक्षण भू–वैज्ञानिक भरतपुर)
2		श्री प्रभात सिंह	CPL 379		
3	**नांगल (खसरा 162)**	श्री ओमप्रकाश	GM 372		
4		श्री चन्द्र सिंह	GM 435		
5		श्री करणी सिंह	GM 349		
6		श्री नखत सिंह	GM 357		
7	**घाटमीका**	श्री सांग सिंह	GM 387		
8		श्री रूप सिंह	GM 363		
9		श्री भगवान सिंह	GM 413		
10	**मोठुका**	श्री लक्ष्मण कुमार	GM 424		
11		श्री बाबु सिंह	GM 443		
12		श्री भादर सिंह	GM 414		
13	**बहराली**	श्री हुकम सिंह	CPL 370		
14		श्री दुर्जन सिंह	GM 364		
15		श्री रानाराम	GM 432		
16		श्री हिंगलाज दान	GM 428		
17	**गढ़ी**	श्री भीम सिंह	CPL 450	श्री मनमोहन मीना,	वाहन संख्या
18		श्री दलपत सिंह	GM 468		

Signature valid
Digitally signed by Khemchand Goyal
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.02.11 13:01:42 IST
Reason: Approved

19		श्री मनोहर सिंह	LCPL 499	सर्वेयर श्री जितेन्द्र तंवर, ख.का–II श्री प्रदीप तिवारी ख.का–II श्री सुधांशु उपाध्याय, ख.का.–II	RJ 27 UA 5687 मय वाहन चालक (कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता(सत.) भरतपुर)
20	चिनावडा –घाटा शमशाबाद रोड	श्री विक्रम सिंह	GM 528		
21		श्री सिकन्दर सिंह	GM 525		
22		श्री बल्कार सिंह	CPL 279		
23	ताजुला का बास	श्री श्रवण कुमार	GM 359		
24		श्री रामकुमार	LCPL 614		
25		श्री ओम सिंह	GM 369		
26	पहाडी चौराहा	श्री सुखदेव सिंह	LCPL 555		
27		श्री राजकुमार	CPL 33		
28		श्री छैलू सिंह	GM 416		

अतः तकनीकी कार्मिकों/वाहन चालक/बॉर्डर होमगार्ड्स को निर्देशित किया जाता है कि अवैध खनन/निर्गमन की चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन बिना ई–रवन्ना/ई–टी.पी./अन्य अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा की गई कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये व्हाटसअप प्रेषित करेंगे। साथ ही बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के चैकपोस्ट नहीं छोडेंगें।

(के.सी.गोयल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांकः– समसंख्यक/ दिनांकः– 11.02.2024

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान जिला कलक्टर, डीग।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक डीग।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर वृत्त भरतपुर।
4. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) भरतपुर।
5. उपखण्ड अधिकारी, पहाडी।
6. पुलिस उपाधिक्षक, पहाडी।
7. श्री खेतन प्रकाश, सहायक खनि अभियंता, कार्यालय हाजा को **नियंत्रण अधिकारी** नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र में नियमित सघन चैकिंग कर अवैध खनन/निर्गमन/ भण्डारण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गई कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जरिये व्हाट्सएप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।
8. श्री मनमोहन मीणा/ श्री रजनीश मीना/ श्री प्रदीप तिवारी/ श्री महेश मीणा/ श्री भीमसिंह/ श्री जितेन्द्र तंवर, खनिकार्यदेशक/सर्वेयर को पालनार्थ।
9. संबंधित वाहन चालक/बॉर्डर होमगार्डस श्री.................... को पालनार्थ।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by Khemchand Goyal
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.02.11 13:01:42 IST
Reason: Approved

ANNEXURE R-7

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः पं. 6(9)प्र.सु./अनुभाग–3/2020–6430 **जयपुर, दिनांकः**

<u>आदेश</u>

राज्य में खनिज विकास को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक खनन की व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करते हुए पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा देने एवं अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभागीय आदेश दिनांक 29.01.2003 के द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के अधिक्रमण में जिला स्तरीय *"खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति"* का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. जिला कलक्टर, अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक, सदस्य
3. उप वन संरक्षक, सदस्य
4. खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, सदस्य सचिव
5. पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में कार्यरत एनजीओ का प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा नामित)
6. कम से कम चार खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाईसेंसधारक, सदस्य (जिला कलक्टर द्वारा नामित)

गठित कमेटी द्वारा मासिक बैठक आयोजित की जाकर निम्न कार्यवाही करेगीः–

1. जिले में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाकर अवैध खनन/निर्गमन पर निगरानी करेगी।
2. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।
3. पट्टाधारियों/क्वारी लाईसेंसधारकों की समस्याओं की सुनवाई कर पट्टाधारियों/क्वारी लाईसेंसधारकों के खनन गतिविधियों में अन्तर विभागीय व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण का कार्य करेगी।
4. वन संरक्षण अधिनियमों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों एवं अन्य संबंधित नियमों को खनन गतिविधियों में प्रभावी रूप से लागू करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, खान एवं पेट्रौलियम (ग्रुप–2) विभाग होगा। समिति का कार्यकाल स्थायी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2025.01.23 11:14:04 IST
Reason: Approved

(शेफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
6. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त उप वन संरक्षक
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक, खान/सतर्कता, खान एवं भूविज्ञान विभाग।
11. समस्त खनि अभियंता/सर्त एवं समस्त सहायक खनि अभियंता/सर्त0 क्रम संख्या 6 से 10 मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.01.23 11:14:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13118458

ANNEXURE R-8

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांकः—अवैध खनन/न्याय/2025 दिनांक

<u>कार्यालय आदेश</u>

खनिज विकास को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक खनन की व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करते हुए पर्यावरण अनुकूल खनन को बढावा देने एवं अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 23.01.2025 की पालना में जिला स्तरीय ''खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति'' का गठन निम्नानुसार किया जाता है—

1. जिला कलक्टर, अलवर (अध्यक्ष)
2. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर (सदस्य)
3. उपवन संरक्षक, अलवर (सदस्य)
4. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर (सदस्य सचिव)
5. श्री अर्जुन सिंह जुगतावत पार्टनर मैसर्स राधा गोविन्द मार्बल्स (खननपट्टाधारी)
6. श्री सुबोध गोयल पार्टनर मैसर्स रामनारायण एण्ड ब्रदर्स (खननपट्टाधारी)
7. श्री कुलदीप कालरा (खननपट्टाधारी)
8. श्री नवीन जैन (खननपट्टाधारी)
9. श्री सुधीर माथुर (एनजीओ अरनिमा सोशियल वैलफेयर फाउण्डेशन)

उक्त गठित कमेटी मासिक बैठक आयोजन कर निम्न कार्यवाही करेगी—

1. जिले में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाकर अवैध खनन/निर्गमन की निगरानी करेगी।
2. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।
3. पट्टाधारियों की समस्याओं की सुनवाई कर पट्टाधारियों के खनन गतिविधियों में अन्तर विभागीय व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण का कार्य करेगी।
4. वन संरक्षण अधिनियमों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों एवं अन्य संबंधित नियमों को खनन गतिविधियों में प्रभावी रूप से लागू करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप—2) विभाग होगा, समिति का कार्यकाल स्थायी रहेगा।

जिला कलक्टर, एवं मजिस्ट्रेट
अलवर

क्रमांकः—अवैध खनन/न्याय/2025 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप—2) विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त,जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, अलवर।
5. उपवन संरक्षक, अलवर।
6. खनि अभियंता, अलवर।
7. श्री अर्जुन सिंह जुगतावत पार्टनर मैसर्स राधा गोविन्द मार्बल्स, श्री सुबोध गोयल पार्टनर मैसर्स रामनारायण एण्ड ब्रदर्स, श्री कुलदीप कालरा, श्री नवीन जैन मार्फत खनि अभियंता अलवर।
8. श्री सुधीर माथुर (एनजीओ अरनिमा सोशियल वैलफेयर फाउण्डेशन) मार्फत उपवन संरक्षक अलवर।
9. रक्षित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Artika Shukla
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.01 18:07:28 IST
Reason: Approved

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
अलवर

RajKaj Ref No.: 14526981

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 248 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED SIX VEHICLES USED IN ILLEGAL SAND MINING SEIZED IN HARYANA'S NUH, APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATES 10.02.2024

VAKALATNAMA

KNOW ALL to whom, these presents shall come that I, Amit Juyal, Officer In-Charge, Respondent No.5, the above-named do hereby appoint (hereinafter called the Advocate/s) to be my/our Advocates(s) in the above-noted case, authorise him/them: -

SHIV MANGAL SHARMA
Advocate for the Respondent No.5
D-291, 2nd & 3rd Floor,
Defence Colony, New Delhi-110024
Mobile: +91 70427 00133
Email: aagrajasthan1sc@gmail.com

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to fees separately for each court by me/ us. To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions, review as revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage. To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case. To take execution proceedings. To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the court of the prosecution of the said case. To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf. And I/we, undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts, done by the advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes. And I/we undertake that I/we or my/our duly authorised agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called. And I/we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate, which he shall receive and retain for himself.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/we hereby agree that once the fees, is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHEREOF I/we do hereunto set my/our hand to these presents, the contents of which have been understood by me/us on this 4th day of September 2025.

Accepted subject to the terms of the fees.

Advocate
Shivmangal Sharma
D/151/2000

(Saurabh Rajpal)
D/928/2014

Amit Juyal
Client
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा०प्र०नि०मं०, भिवाड़ी